

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में “टेलीफोन आपरेटर” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में “टेलीफोन आपरेटर” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईकर मेल-हैं। सकते हैं।

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23062032

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2020

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम (श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध टेलीफोन लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, टेलीफोन ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता :** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
टेलीफोन ऑपरेटर	05* (2020)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचितविचार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (वैन्ड्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अध्यर्थियों की दशा में चार्टर्स वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अध्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ पीएचएस और पीबीएस चलाने का प्रशिक्षण।

सीधी भर्ती किए जाने वाले ३	परिवेश की अवश्यिकता, यादी, यादि	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोलान्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे व्यक्तियों	प्रोलान्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे व्यक्तियों	यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्तियों
----------------------------	---------------------------------	---	--	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयुः लागू नहीं होता । शैक्षिक अहंताएः स्तंभ (11) में यथाउल्लिखित	मीरीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा ।	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्य कर रहे ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपये) में कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहंता रखते हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोवेन्चि और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉं राम मनोहर लोहिया अस्पताल 2. उप निदेशक (प्रशासन), डॉं राम मनोहर लोहिया अस्पताल 3. उप निदेशक (एमएच), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
यक्षियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	कोई हो	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	शितियों में संबंधीक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

[ए-11018/44/2019-एमएच-II]

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार